

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1667 / 2013 / जयपुर.

अपील संख्या - 1668 / 2013 / जयपुर.

अपील संख्या - 1669 / 2013 / जयपुर.

नीतीन सचदेवा (लीगल हायर) मैसर्स राजस्थान ग्लास

हाउस, बापू बाजार, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, श्री वी.के.पारीक

अभिभाषकगण

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18 / 08 / 2017

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 84 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 07.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गई थी। मांग का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अ.सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1667 / 2013	160 / वेट / 11-12	14.06.2011	2001-02	3,60,918	5,37,529	7,21,836
1668 / 2013	161 / वेट / 11-12	14.06.2011	2002-03	5,64,773	7,05,589	11,29,546
1669 / 2013	162 / वेट / 11-12	14.06.2011	2003-04	8,104	8,665	16,208

2. प्रस्तुत प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रूप से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के नियमित कर निर्धारण समयावधि में पारित किये गये थे परन्तु वर्ष 2007 में जयपुर स्थित प्रतिकरापवंचन वृत्त-राजस्थान द्वितीय के सहायक आयुक्त द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि राज्य के बाहर स्थित फर्मों द्वारा राजस्थान राज्य के व्यवहारियों को जो माल विक्रय किया गया है उसकी प्रविष्टियां क्रेताओं द्वारा नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में अपीलार्थी के मामले में भी गुजरात की एक फर्म मैसर्स गुजरात गार्जियन लिमिटेड द्वारा सूचना भेजी गई थी जिसमें उनके द्वारा विभिन्न बिलों से माल का विक्रय अपीलार्थी फर्म को किया जाना बताया गया था। उस सूचना के विवरण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी प्रतिकरापवंचन राजस्थान, जयपुर द्वारा उक्त तीनों वर्षों के पूर्ण पारित कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 30 के

लगातार.....2

तहत रि-ओपन कर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2007 को पारित किये गये, जिसमें गुजरात गार्जियन के बिलों का नम्बर, तारीख एवं रकम का विवरण अंकित करते हुये एक पक्षीय आदेश पारित कर किये गये थे, जिसमें कर, सरचार्ज एवं ब्याज के अलावा करापवंचन के अपराध में अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। इन तीनों ही आदेशों के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 22.06.2009 को संयुक्तादेश पारित कर यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, बाद सुनवाई पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

उक्त प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 22.06.2009 की पालना में वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन वृत्त-उदयपुर द्वारा अधिनियम, 1994 सपटित वैट अधिनियम, 2003 के पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.06.2011 को पारित किया गया एवं पुनः कर ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि कर निर्धारण पत्रावली में करापवंचन सिद्ध करने के आधारभूत दस्तावेज अर्थात् राज्य के बाहर से प्राप्त बिलों की प्रतियां मौजूद नहीं है तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में केवल बिल क्रमांक व दिनांक अंकित किये हैं। वर्तमान कर निर्धारण अधिकारी जिन्हें उक्त पत्रावलियां प्रतिकरापवंचन वृत्त-जयपुर से प्राप्त हुई थी, उन्होंने प्रकरण से सम्बन्धित विवादित बिल भेजने हेतु पत्र जयपुर भी लिखा था, परन्तु बिलों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई जिसकी सूचना पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 25.05.2011 पर उपलब्ध है। अपीलीय अधिकारी ने इस तरह बिना किसी दस्तावेजों के आधार पर करारोपण किये जाने को अनुचित मानते हुये प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिसमें बिलों की प्रतियां व्यवसायी को उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आदेश पारित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।

उक्त दूसरी बार किये गये अपीलीय आदेश दिनांक 07.09.2012 के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह कथन किया गया है कि इस तरह बिना किसी दस्तावेजों के दो बार पारित किये गये आदेशों को तीसरी बार पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधि व न्याय के विरुद्ध है।

4. विभागीय उप-राजकीय अभिभाषक ने आदेश का समर्थन किया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रकरण के उक्त वर्णित तथ्यों के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय आदेशों का अध्ययन किया गया।

5. अपीलार्थी की ओर से ये अपीलें इस वजह से प्रस्तुत की गई है कि जयपुर स्थित प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा केवल अन्तर्राज्यीय सूचनाओं के आधार पर क्षेत्राधिकार ग्रहण कर दिनांक 18.07.2007 को आदेश पारित किया गया जबकि उस आदेश में भी केवल बिलों का क्रमांक, दिनांक एवं कीमत अंकित की थी परन्तु पत्रावली पर ऐसे कोई बिल उपलब्ध नहीं थे। बिना साक्ष्य के किये गये आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर पुनः कर निर्धारण करने के आदेश किये गये थे। इसी दौरान वह पत्रावली वृत्त-जयपुर से प्रतिकरापवंचन वृत्त-उदयपुर को स्थानान्तरित कर दी गई थी। तब प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण उदयपुर के प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा किया गया परन्तु पुनः वहीं आदेश पारित कर दिया गया जो पूर्व में किया गया था।

हालांकि उनके द्वारा प्रश्नगत बिलों की प्रतियां जयपुर के अधिकारी से चाही गई थी परन्तु वे प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में पुनः पूर्व जैसा ही आदेश दिनांक 14.06.2011 को पारित कर दिया गया, उसके पश्चात पुनः अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 07.09.2012 को यह आदेश दिया कि बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवाते हुये पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें एवं क्रॉस एक्जामिनेशन करने का भी अवसर दिया जाने का भी निर्देश दिया गया है।

उक्त प्रकरण की पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश के पठन पर यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम वर्ष 2007 में जयपुर के प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा मैसर्स गुजरात गार्जियन लिमिटेड से मंगवाई गयी सूचना के आधार पर ही करारोपण किया गया है जबकि उसके बिलों की प्रतियां उनके पास उपलब्ध नहीं थी। बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से दिये गये तर्क में यह बल है कि उनके नाम से यदि कोई बिल जारी करवाकर माल प्राप्त करें तब ऐसी स्थिति में अपीलार्थी फर्म को कोई नियंत्रण नहीं हो सकता जबकि इस प्रकरण में न तो कोई बिलों की कोई प्रतियां है एवं न ही ऐसा कोई अन्य साक्ष्य है जो गुजरात के तथाकथित विक्रेता द्वारा दर्शाई गई बिक्री माल की डिलीवरी अपीलार्थी को दिया जाना प्रमाणित कर सकें एवं न ही अपीलार्थी द्वारा उक्त तथाकथित बिलों का भुगतान विक्रेता को किया जाना प्रमाणित कर सकें। प्रकरण में 10 वर्ष के पश्चात भी विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया है कि अपीलार्थी को राज्य के बाहर के विक्रेता द्वारा जारी बिलों के अनुसार माल प्राप्त हुआ हो एवं न ही ऐसे कोई बिल रेकार्ड पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में वाद को बार बार प्रतिप्रेषित करने से कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह रेकार्ड से प्रमाणित था कि जयपुर एवं उदयपुर के प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारियों के पास ऐसे कोई बिल उपलब्ध ही नहीं है। अतः पुनः तीसरी बार कर निर्धारण आदेश पारित करने का आदेश दिया जाना पूर्णतया विधिविरुद्ध है।

यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि प्रथम बार अपीलीय आदेश में यह स्पष्ट निर्देश था कि अपीलार्थी को बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवाकर एक क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर देने के पश्चात आदेश पारित करें परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए पुनः वही आदेश पारित कर दिया। यह कहना उचित होगा कि इस तरह की स्थिति स्वयं अधिकारियों द्वारा विधि की पालना नहीं करने की प्रवृत्ति प्रमाणित करता है। ऐसे आदेश करने का स्पष्ट परिणाम यह रहा कि अपीलार्थी एवं राजस्व की ओर से प्रथम बार की गई अपील में दिया गया समय एवं श्रम व्यर्थ हुआ और अपीलीय अधिकारी ने भी पुनः यह त्रुटि की है जब कर निर्धारण अधिकारी के पास बिल उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि हो रही थी तब भी दूसरी बार फिर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अपीलार्थी इसलिये कर बोर्ड में उपस्थित होकर बिना आधार के बार-बार वही आदेश पारित करने को रोक सके एवं आधारहीन विवाद से मुक्त हो सकें। इन तथ्यों के मददेनजर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

न्यायहित में कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि उनके पास अभी तक भी उक्त आदेशों में वर्णित बिलों की प्रतियां एवं उसमें वर्णित माल डिलीवरी वास्तव में अपीलार्थी को ही प्राप्त होने का कोई साक्ष्य प्राप्त हो चुका हो तो वे


लगातार.....4

उन समस्त दस्तावेजों की प्रतियां पहले अपीलार्थी को उपलब्ध कराए एवं उसके बाद नोटिस जारी कर सुनवाई का एवं क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर प्रदान करें उसके बाद ही कोई आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास कोई बिल एवं अन्य कोई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो वे न तो कोई नोटिस जारी करेंगे एवं न ही कोई आदेश पारित करें।

फलतः अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर उपरोक्त निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


10/01/2012
(के.एल.जैन)
सदस्य